Ex.P.-67

कथन – मोहन कुमार साहू

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध कमांक	–	09/2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	मोहन कुमार साहू पिता गोवर्धन साहू
उम्र	–	28 वर्ष
पता	–	वार्ड नं. 16, शांति चौक, नयापारा जिला रायपुर (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	–	99776–18885
व्यवसाय	–	सह– संचालक, मनीषा ट्रेडर्स, पोखरा, राजिम जिला गरियाबंद (छ0ग0)

—00—

मैं मोहन कुमार साहू पूछे जाने पर बता रहा हूं कि मैं मनीषा ट्रेडर्स , पोखरा का सह–संचालक हूं। यह मिल अजय अग्रवाल की है जिसे मैं 04 लाख रूपये सालाना किराये पर लेकर चलाता हूं। इस राईस मिल की क्षमता 02 टन धान प्रति घंटे की है। मेरा मार्कफेड से 40 हजार क्विंटल वर्ष 2014–15 में अनुबंध है, पिछले वर्ष 2013–14 में 10 हजार मीट्रिक टन धान के कस्टम मिलिंग का अनुबंध था। राजिम में क्वालिटी इंस्पेक्टर महेन्द्र साहू है तथा गरियाबंद में जिला प्रबंधक श्री मोतीलाल साहू है। राजिम में 06 राईस मिल है तथा 03 गोदाम है। राजिम में चावल अनलोडिंग एवं स्टेकिंग के लिये हमालों को 2800रू. उनके ग्रुप के मुखिया को देते है। नान में वर्ष 2014–15 में 62 लॉट चावल अभी तक जमा किया हूं। मेरा द्वारा भेजे गये चावल नान के क्वालिटी इंस्पेक्टर महेन्द्र साहू द्वारा 02 लॉट रिजेक्ट किये हैं। नान में वर्ष 2013–14 में 251 लॉट चावल जमा किया हूं, उस वक्त भी 02–03 लॉट चावल रिजेक्ट हुआ था। नान के राजिम में क्वालिटी इंस्पेक्टर तथा गरियाबंद के जिला प्रबंधक द्वारा सभी राईस मिलरो से 08रू. प्रति क्विंटल की दर से कलेक्शन का पैसा लिया है। इस एवज में हमारे चावल को जमा करने के लिये स्पेश की व्यवस्था, जल्दी माल का खाली करवा देना तथा चावल की गुणवत्ता परीक्षण के समय चावल के क्वालिटी में समझौता किया जाता है। इसी तरह अगर कोई मिलर कलेक्शन का पैसा न दे तो उसे गोदामों में चावल जमा करने के लिये जल्दी स्पेश नहीं दिया जाता है, उनके द्वारा लाये गये चावल की गुणवत्ता परीक्षण कड़ाई से की जाती है, कई बार तो बेवजह चावल का अमानक बताकर वापस कर दिया जाता है तथा चावल अनलोडिंग एवं स्टेकिंग के लिये हमाल मिलने में देर कराया जाता है। इन सभी परेशानियों से बचने के लिये हम नान के अधिकारियों को कलेक्शन का पैसा देते है। यही मेरा कथन है।

दिनांक 07.04.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक